निदेश दिए गए थे।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जून, 1991 से 15 फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान, सरकार/महानिदेशक दूरसंचार, नई दिल्ली के स्तर पर 13547 टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी दी गई थी।

Threat to C-DOT from multinationals

2916. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the multinationals are posing a big threat to the existence of the C-DOT by luring away its trained engineers, as per the news item entitled "MNCS luring away C-DOT brains" which appeared in the 'Times of India', on the 25th December, 1991;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what remedial steps Government to take in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise in view of answer for (a) above.

Increasing the Rate of Commission and Incentive for Small Savings

2917. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the rate of commission together with the icentives given to postal employees for doing the work of small savings;

(b) whether there is any proposal under Government's consideration to increase the present rate of commission and incentives for improving small savings;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Sir, incentive in the shape of Savings Bank Allowance is given at the rate of Rs. 60/- and Rs. 30/- per month respectively to Postal Assistants doing full time and part time Savings Bank work.

Incentive in the form of rewards is at times given by States to Post Office Savings Bank staff during special drives conducted for small savings collections.

Rate of commission given to Extra Departmental Branch Postmasters and Extra Departmental Sub Postmasters for Savings Bank work is as below:

(i)	1 Year Time Deposit	0.5%	
(ii)	2-3 Years Time Deposits	1%	
(iii)	5 Years Time Deposits	2%	
(iv)	Savings Account	2%	annually, if the net accretions, exclusive of interest, is Rs. 500/- or above.
(v)	The Extra Departmental Branch Postmasters can also get commission at the following rates for mobilising small Savings collections as SAS Agents:		
1.	National Savings Scheme	1%	5.1-Year Time
2.	Kisan Vikas Patra	1%	Deposit 0.5%
3.	National Savings Certificate VIII Issue	1%	6.2-3 Years Time Deposit 1%
4.	Monthly Income Scheme	1%	7.5-Years Time Deposit 2.5%

(b) and (c) There is no proposal under Government's consideration to increase the present rates of commissions and incentives.

(d) The present incentives and commissions are considered adequate.

"न्यू बोम्बे" के लिए काल करने हेतु मुम्बई के उपभोक्ताओं द्वारा एस०टी०डी० का उपयोग

2918. **डा० बापू कालदाते:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई में टेलीफोन उपभोक्ताओं को "न्यू बोम्बे" के लिए टेलीफोन काल करने के लिए एस०टी०डी० सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार "न्यू बाम्बे" टेलीफोन्स को मुम्बई टेलीफोन्स में सम्मिलित करने का विचार रखती है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): इस समय बम्बई तथा न्यू बंबई एक दूसरे के साथ लिंकनंबरिंग स्कीम के जरिए जुड़े हुए हैं और दोनों स्थानों के बीच काल करने के प्रभार न्यूनतम एस०टी०डी० दरों पर प्रभारित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों को एक स्थानीय क्षेत्र में लाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आत्रेय पेनल प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

2919. **डा० बापू कालदाते:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आत्रेय पेनल प्रतिवेदन को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हा, तो उक्त पेनल के प्रतिवेदन में कौन-कौन से महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) सरकार जिस सुझाव को लागू करने का विचार रखती है, उसका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू):

(क) आयेत्र समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ख) आयेत्र समिति के अधिकांश सदस्यों ने देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रबंध के लिए एक निगमित ढांचे की सिफारिश की है जो कि एक नियंत्रक कंपनी के रूप में होगी और जिसके चार क्षेत्रीय प्रचालन निगम कार्यालय तथा एक संयोजक निगम कार्यालय होगा।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तार घरों का आधुनिकीकरण और उनका खोला जाना

2920. **श्री ईशदत्त यादव:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नये तार घर खोलने और विद्यमान तार घरों को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के संबंध में इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने तार घर खोले जाने की सम्भावना है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में आधुनिकीकरण के लिए कितने तार घरों को चुना गया है और ऐसे तार घरों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) जी हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1985-90 के दौरान उत्तर प्रदेश, राज्य में इस संबंध में उपलब्धियां इस प्रकार रहीं:—

— 718 स्थानों पर नए तारघर खोले गए।

— 18 तारघरों का दर्जा बढ़ाया गया।

— लखनऊ और वाराणसी में स्टोर तथा फारवर्ड टेलीग्राफ प्रणालियां चालू की गई।

— नेटवर्क में इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर शामिल किए गए।

— 8 केन्द्रों पर फैक्स सुविधाएं प्रदान की गई।

(ग) 100 (एक सौ तार घर)

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून, बरेली, कानपुर, आगरा और वाराणसी में स्टोर तथा फारवर्ड संदेश स्विचन प्रणालियां चालू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सभी तारघरों में मोर्स प्रणाली के स्थान पर संकेंद्रक सहित 550 इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड संयोजन संस्थापित किए जाएंगे। योजना में पी०सी० पर आधारित फारमेटिड टर्मिनलों तथा